न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7010–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–4–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, बुरहानपुर प्रकरण कमांक 12/बी–103/2014–15.

मेसर्स नेपा लिमिटेड, भारत सरकार का उपकम
पंजीकृत कार्यालय नेपानगर जिला बुरहानपुर
द्वारा कम्पनी सेकेट्री
संजय कुमार ओझा पिता सियाराम ओझा
नेपा लिमिटेड, नेपानगर जिला बुरहानपुर ..... आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
कलेक्टर आफ स्टाम्प बुरहानपुर
2– डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, बुरहानपुर ..... अनावेदकगण

सुश्री साधना पाठक, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ८/५//८ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक नेपा लिमिटेड की ओर से कम्पनी सेकेट्री संजय ओझा द्वारा कम्पनी के पक्ष में निष्पादित विलेख पर उचित मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प, बुरहानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 12/बी–103/2014–15 दर्ज कर दिनांक

9–4–2015 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन विलेख पर 25 लाख रूपये मुद्रांक शुल्क देय होना निर्धारित करते हुए जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) आवेदक द्वारा पूर्व में ही अधिनियम की अनुसूची (1–क) के अनुच्छेद 10 के अन्तर्गत अधिकतम मुद्रांक शुल्क रूपये 5 लाख अदा कर दिया गया था, इसके बावजूद भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा 25 लाख रूपये मुद्रांक शुल्क देय होना निर्धारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(2) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा संशोधित (2–ख) के अंतर्गत रूपये 25 लाख देय होना निर्धारित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि अनुसूची (2–ख) में संशोधन दिनांक 16–9–2014 को हुआ है, जबकि आवेदक कम्पनी की अंशपूंजी 125 करोड़ से 585 करोड़ दिनांक 4–3–2013 को संशोधन के पूर्व ही हो गया है, इसलिए अधिनियम में हुए संशोधन दिनांक 16–9–2014 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है ।

(3) अपीलार्थी द्वारा पूर्व में अधिनियम की अनुसूची (1–क) के अनुच्छेद 10 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया गया है, जो कि दिनांक 4–3–2013 की स्थिति में लागू था। उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर मुद्रांक शुल्क में की गई वृद्धि से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा स्वयं उचित मूल्य निर्धारण हेतु विलेख कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 16–9–2014 को अनुसूची– (ख) के अनुसार रूपये 25 लाख मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि के प्रावधानों के अनुरूप रूपये 25 लाख मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि आवेदक की ओर से कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष ऐसे कोई प्रावधान प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि आवेदक इकाई को मुद्रांक शुल्क से छूट प्राप्त हो सकती हो । कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष आवेदक संस्था द्वारा दिनांक 19--2--2015 को प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं औद्योगिक व वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड की प्रोसीडिंग दिनांक 23--1--2014 के आधार पर संशोधित स्टाम्प शेड्यूल दिनांक 16--9--2014 अनुसूची II (ख) के अनुसार रूपये 25 लाख मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है । अतः इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कम्पनी द्वारा अंशपूंजी में वृद्धि संशोधन के पूर्व दिनांक 4--3--2013 को की गई है, इसलिए संशोधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9--4--2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोविल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर